अभिषेक कुमार

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य

4 दिसंबर, 2006

(न्यायमूर्ति एस.बी.सिन्हा और न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू)

सेवा कानूनः-

राज्य सरकार द्वारा अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की पेशकश की गई, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट ने यह कहते हुए इसे अस्वीकार कर दिया कि जिले में कोई रिक्ति मौजूद नहीं है, उम्मीदवार 2003 के नियमों के लागू होने से पहले मौजूदा नियमों के अनुसार नियुक्ति का हकदार था, राज्य सरकार ने नियुक्ति जारी करने का निर्देश दिया। राज्य के भीतर किसी भी पद पर उम्मीदवार को उसकी मूल वरिष्ठता के अनुसार पत्र हरियाणा मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा सहायता नियम 2003 के अनुसार।

अपीलकर्ता ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया क्योंकि उसके पिता की फरवरी 2001 में नौकरी के दौरान मृत्यु हो गई थी। जिला मजिस्ट्रेट ने उसे इस आधार पर नियुक्ति देने से इनकार कर दिया कि जिले में कोई रिक्ति नहीं है। अपीलकर्ता की रिट याचिका को उच्च न्यायालय ने नियम के मद्देनजर खारिज कर दिया था। हरियाणा मृतक सरकारी कर्मचारियों के

आश्रितों को अनुकंपा सहायता नियम, 2003 के और उन्हें नियम 9 के तहत कुछ अनुग्रह राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था, जिससे व्यथित होकर पीड़ित अपीलकर्ता ने वर्तमान अपील को दायर किया।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया-

अपीलकर्ता ने उस समय अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की मांग की थी जब 2003 के नियम अस्तित्व में नहीं थे, इसलिए उसके मामले पर उन नियमों के संदर्भ में विचार करने की आवश्यकता थी जो वर्ष 2001 में अस्तित्व में थे। जाहिर तौर पर एक राज्यवार सूची बनाई गई है -उक्त सूची में अपीलकर्ता अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पाने का हकदार था। उन्हें राज्य द्वारा ऐसी नियुक्ति की पेशकश की गई थी, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट ने यह पद देने से इनकार कर दिया। जब एक राज्यवार सूची तैयार की जाती है, तो यह किसी प्रभारी प्राधिकारी जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य अधिकारी के मुंह से उच्च प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की अवज्ञा करने के लिए झूठ नहीं बोलता है। उच्च न्यायालय मामले के इस पहलू पर विचार करने में विफल रहा हरियाणा राज्य के कार्मिक विभाग को अपीलकर्ता को उसकी मूल वरिष्ठता के अनुसार राज्य के भीतर नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया जाता है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 5657/2006

(चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 26.9.2005 के अंतिम निर्णय/आदेश से सी.डब्ल्यू.पी. क्रमांक 7957/2004.)

अपीलकर्ताओं की ओर से पी.एन. पुरी और धीरज।

प्रतिवादियों की ओर से अजय सिवाच, मंजीत सिंह और टी.वी. जॉर्ज।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एस.बी. सिन्हा द्वारा सुनाया गया-

अनुमति प्रदान की गई।

अपीलकर्ता के पिता की पद पर रहते हुए 10.2.2001 को मृत्यु हो गई। उस समय विद्यमान नियम के अनुसार, अपीलकर्ता अनुकंपा के आधार पर नियुक्त होने का हकदार था। ऐसी नियुक्ति के लिए अपीलकर्ता द्वारा अपने पिता की मृत्यु की तारीख से दो सप्ताह के भीतर एक आवेदन दायर किया गया था, न केवल अपीलकर्ता को जिला यमुनानगर में नियुक्ति से वंचित कर दिया गया था, जबकि उसके मृत पिता जिला यमुनानगर में कानूनगो के रूप में कार्यरत थे, करनाल जिले में नियुक्ति की मांग की। जिला मजिस्ट्रेट, करनाल ने उन्हें अन्य बातों के साथ-साथ इस दलील पर इनकार कर दिया कि कोई रिक्ति मौजूद नहीं है।

अपीलकर्ता ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। उक्त न्यायालय के समक्ष, उत्तरदाताओं ने एक तर्क उठाया कि इस

बीच, हरियाणा राज्य ने 28.2.2003 को एक अधिसूचना जारी की थी जिसे "हरियाणा मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा सहायता नियम, 2003" के रूप में जाना जाता है। उसी का नियम 9 निम्नानुसार है :

> "9. (ए) इन नियमों के तहत नियुक्तियां केवल नियमित आधार पर की जाएंगी और वह भी केवल, यदि उस उद्देश्य के लिए नियमित पद उपलब्ध हों।
>
> (बी) इन नियमों के तहत नियुक्तियां समूह सी और डी श्रेणियों में स्वीकृत पदों (सीधी भर्ती कोटा के तहत आने वाले) के अधिकतम 5% तक की जा सकती हैं, जो प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को विभाग प्रमुख द्वारा निर्धारित की जाएंगी। नियुक्ति प्राधिकारी कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले उपरोक्त श्रेणियों में 5% तक पदों को रोक सकता है अन्यथा, ताकि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति द्वारा ऐसे पदों को भरा जा सके।
>
> (सी) अनुग्रह के आधार पर नियुक्ति के लिए चुने गए व्यक्ति को भर्ती रोस्टर में उचित श्रेणी अर्थात के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/सामान्य उस श्रेणी पर निर्भर करता है जिससे वह संबंधित है।"

उच्च न्यायालय ने उक्त नियम के आधार पर अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उत्तरदाताओं को नियमों के तहत अनुग्रह राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

अपीलकर्ता ने उस समय अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की मांग की थी जब 2003 के नियम अस्तित्व में नहीं थे। इसलिए, उनके मामले पर वर्ष 2001 में अस्तित्व में आए नियमों के अनुसार विचार किया जाना आवश्यक था। जाहिर है, हरियाणा राज्य में एक राज्यवार सूची बनाई गई थी। हरियाणा राज्य द्वारा रखी गई उक्त सूची के अनुसार, अपीलकर्ता अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने का हकदार था, उसे राज्य द्वारा ऐसी नियुक्ति की पेशकश की गई थी। यह जिला मजिस्ट्रेट थे जो रास्ते में आए और पद देने से इनकार कर दिया।

दुर्भाग्य से उच्च न्यायालय मामले के इस पहलू पर विचार करने में विफल रहा।

जब एक राज्यवार सूची तैयार की जाती है, तो किसी प्राधिकारी प्रभारी, चाहे वह जिला मजिस्ट्रेट हो या कोई अन्य अधिकारी, के मुंह से उच्च प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की अवहेलना करना संभव नहीं है। इसके अलावा, करनाल में कोई पद उपलब्ध नहीं हो सकता है लेकिन इसमें कोई संदेह या विवाद नहीं हो सकता है कि ऐसा पद हरियाणा राज्य के किसी अन्य जिले में उपलब्ध होगा क्योंकि अन्यथा ऐसी नियुक्ति नहीं की जा सकती थी। अपीलकर्ता ने अपने

लिखित बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि वह हरियाणा राज्य में कहीं भी शामिल होने के लिए तैयार और इच्छुक है।

हमसे पहले राज्य ने कोई जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया है. करनाल के जिला मजिस्ट्रेट ने ऐसा किया है और हमारे सामने भी वही दलीलें उठाई गई हैं जो उच्च न्यायालय के समक्ष उठाई गई थीं।

उपरोक्त कारणों से, हम प्रतिवादी संख्या 4 की उक्त दलीलों को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं। इसलिए, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते हैं। कार्मिक विभाग, हरियाणा राज्य को इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से चार सप्ताह के भीतर अपीलकर्ता को उसकी मूल वरिष्ठता के अनुसार हरियाणा राज्य के भीतर किसी भी पद पर नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया जाता है।

आर.पी.

अपील की अनुमति।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।